P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भूमंडलीकरण एवं बाल श्रमिकों के अधिकार

अनिल कुमार शर्मा
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
राजगढ, अलवर (राजस्थान)

सारांश

भूमंडलीकरण सामाजिक प्रक्रिया के एक ऐसे समूह को कह सकते है जिसने हमारी वर्तमान सामाजिक स्थितियों को वैष्वीकृत कर दिया है। भूमंडलीकरण सामाजिक प्रक्रियाओं के एक ऐसे बहुआयामी समूह को दर्शाता है जो विश्वव्यापी सामाजिक अन्तरनिर्भरता एवं विनिमय को उत्पन्न करता है और इसे बढ़ाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करता है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण आधुनिक युग की प्रमुख अवधारणाये हैं। इनके परिणामस्वरूप विकास की सम्पूर्ण राजनीति में व्यापक परिवर्तन आया है तथा बाजार, गैर सरकारी संगठन तथा समुदाय आधारित संगठन अपना स्थान मजबूत बनाते जा रहे है। विश्व स्तर पर अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने का प्रयास किया है और घरेलू बाजार में निवेष का रास्ता भी खोला है जिससे निवेश के लिए पूॅजी की गत्यात्मकता बढी है। अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वैश्विक नियमनो के साथ–साथ घरेलू नियमनो में भी सामंजस्य देखा जा रहा है। भूमंडलीकरण शब्द से यह बोध होता है कि विश्व समुदाय के हित में दुनिया के सभी लोग एक सूत्र में जुड़ जायेगे और संपूर्ण दुनिया एक छोटे गॉव के रूप में विकसित हो जायेगी।

मुख्य शब्द : भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, बालश्रम, विकासशील देश।

प्रस्तावना

विकासशील देशो में बालश्रम एक व्यापक एवं जटिल समस्या है जिसके कारण बालकों का विकास ही अवरूद्व नही होता बल्कि संबंधित देश में नागरिक व नागरिक समाज भी पिछडा हुआ रह जाता है। दक्षिण एशिया जिसमें भारत भी सम्मिलित है, इस संबंध में स्थिति बहुत भयावह है। वर्तमान में बालको की श्रम शक्ति उत्पादन व निम्न स्तरीय सेवाओं, गैर–उत्पादन के विविध व्यवसायों में कार्यरत है। बालश्रम की समस्या समसामयिक परिप्रेक्ष्य में गहनता के साथ–साथ बहुआयामी जटिल समस्या भी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग के बाल एवं युवा श्रमिकों के संरक्षण पर अपने प्रतिवेदन में कहा है कि ''बालश्रम निवारण की समस्या बच्चों के पोषण तथा सभी कार्य–योग्य व्यक्तियों के परिवार के समुचित भरण–पोषण हेतु मजदूरी के भुगतान से जुडी हुई है। इस समस्या के साथ राष्ट्र विकास में मूल बाधक कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी, शारीरिक एवं मानसिक रूग्णता, वर्गीय व्यवस्था का शोषणकारी स्वरूप आदि कई अन्य समस्याऐं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ जाती है।

प्रगतिशील विचारधाराओं के अनुसार बालश्रम के विकसित होने में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की भूमिका रही है तथा यह पूॅजीवाद का ही परिणाम है। समसामयिक समय में औद्योगीकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक विकास की गति को तीव्र ही नही किया अपितू राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की प्रक्रियाओं के साथ–साथ पारिवारिक जीवन में अर्थ की प्रधानता स्थापित की है। कृषि एवं कुटीर उद्योग प्रधान व्यवस्था में बालक परिवार के साथ उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता था एवं कार्य के साथ–साथ प्रशिक्षण प्राप्त करता था। पारिवारिक आय में उसकी भागीदारी आवश्यकताओं पर आधारित होती थी परन्तु भारत में वर्तमान में परिवार प्रणाली कमजोर होती जा रही है क्योंकि पहले जब आर्थिक विपन्नता की स्थिति उत्पन्न होती थी तो समूचा परिवार एकजुट होकर उसका सामना करता था परन्तु अब आर्थिक विपन्नता का सामना करने के लिये सामुहिकता या परिवार की एकजुटता नहीं है और संभवतः इसलिये वे इसका सामना करने में अक्षम प्रतीत हुये है।

भूमडलीकरण ने औद्योगीकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया को व्यापक किया है जिसके फलस्वरूप बालश्रम के स्वरूप व भूमिका में परिवर्तन आया है। श्रम विभाजन पर आधारित कारखाना प्रणाली में उत्पादन से पृथक श्रमिक वर्ग होता है दोनों में कोई भावनात्मक संबंध नहीं होते जैसे कि कुटीर उद्योग में

परिवार के सदस्य श्रमिकों में होते है तथा मालिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देना चाहता है। वस्तुतः जनाधिक्य व अतिशय श्रम आपूर्ति के कारण वेतन दरें गिरती है। इस प्रकार यही निर्धनता बालश्रम को बढ़ाती हैं। कार्ल मार्क्स ने समूची प्रक्रिया को व्यवस्थित तौर पर स्पष्ट किया है कि शक्ति चालित उद्योगों के पूर्व ही उत्पादन प्रणाली में पूँजी के प्रवेश तथा कारखाना प्रणाली में श्रम विभाजन के कारण संपूर्ण कार्य छोटी–छोटी प्रक्रियाओं में बांट दिया जाता था और इसे बच्चे भी कर सकते थे जिससे उद्यमियों को लाभ होता था। श्रम विभाजन तथा मषीनों के प्रयोग के कारण कारखाना प्रणाली से कुटीर उद्योग के कारीगर बेकार होने लगे तो बेरोजगारी, निम्नतम मजदूरी, निर्धनता बढ़ी जिससे बच्चों की कम मजदूरी के कारण बच्चों का नियोजन बढ़ने लगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपीटल के तीसरे खण्ड में लिखा था कि विशिष्ट आर्थिक पद्धति, जिसके द्वारा वास्तविक उत्पादनों के अतिरिक्त श्रम के बिना उसकी कीमत देकर शोषण किया जाता है, शासकों और शासितों के संबंध को निर्धारित करती है।[1] फलस्वरूप इस प्रकार निर्धनता के कारण कामगारों के बच्चे भी मजदूरी करने लग जाते है। इस विचारधारा का मत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भूमंडलीकरण लोगों को प्रभावषाली शक्ति संरचना के दमन एवं शोषण से मुक्ति नहीं दिला पायेगा बल्कि यह उनके शोषण करने वाली ताकतों को परोक्ष रूप से और मजबूत कर देगा क्योंकि भूमंडलीकरण के अर्न्तगत होने वाले आर्थिक विकास में ये अकुशल व अशिक्षित वंचित वर्ग, पिछडे व बेरोजगार हो जाते है।

भूमंडलीकरण के फलस्वरूप विकसित हुये औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया के आर्थिक विकास की गति को तीव्र ही नही किया बल्कि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की प्रक्रियाओं के साथ–साथ अर्थ की प्रधानता का घनिष्ठ संबंध भी स्थापित किया है। इस कारण से बालश्रम के स्वरूप एवं परिस्थितियों में भी अन्तर आ गया है। कृषि एवं कुटीर उद्योग तक बालक परिवार के संग उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता था एवं कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करता था तथा पारिवारिक आय में उसकी भागीदारी रहती थी। लेकिन औद्योगीकरण व नगरीकरण की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बालश्रम में शोषण का तत्व सार्वजनिक रूप से परिलक्षित हो रहा है क्योंकी उत्पादक परिजनों से भिन्न व्यक्ति होता है तथा वह श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देना चाहता है जबकि दूसरी विचारधारा का मत है कि भूमंडलीकरण के कारण व्यापक स्तर पर विकास होगा। इससे सेवाक्षेत्र का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगें तथा समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को लाभ मिलेगा क्योंकी इस प्रक्रिया को अपनाने से ज्यादा आय होगी जिससे गरीबी का उन्मूलन हो सकेगा तथा वंचित समूहों के हितों की सुरक्षा एवं अभिवृद्वि में सहायक होगा।[2] वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बालकों के विकास हेतु किये गये विभिन्न, प्रयासों, समझौते एवं अभिसमयों द्वारा बालकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों की प्राप्ति संभव हुई है। यूनिसेफ व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बालश्रम उन्मूलन एवं बच्चों के विकास से संबंधित प्रयास किये जा रहे हैं। सन 1989 में अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते में जीवन जीने, सुरक्षा, विकास, सहभागिता, अस्मिता, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, शिक्षा, मनोरंजन, हानिप्रद व जोखिम भरे कामों से संरक्षण, कानूनी एवं अन्य सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।[3] बालश्रम उन्मूलन के क्षेत्र में यूनिसेफ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को महत्वपूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान करता है। यूनिसेफ प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं है लेकिन इन बालश्रमिकों के लिये पुनर्वास कार्यक्रम और विशेषकर विशेष विद्यालयों एवं अन्य पुनर्वास सह–कल्याण केन्द्रों को सहयोग एवं आवश्यक समर्थन प्रदान करता है। इसके सहयोग से कार्यक्रम लगभग 138 देशों में चल रहे हैं यह एक अर्द्व–स्वायत्त एजेंसी है। बच्चों की देखभाल व विकास संबंधी जानकारी यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिर्पोट से होती है।[4] बालश्रम उन्मूलन संबंधी यूनिसेफ की निम्नलिखित गतिविधियां संचालित है–

1. बालश्रम उन्मूलन एवं रोकथाम के लिये मौलिक रणनीति के रूप में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना।
2. बच्चों के संरक्षण का समर्थन करना जिससे बालश्रम एवं उससे संबंधित कानून सम्मिलित है।
3. राष्ट्रीय व प्रांतीय सरकारों द्वारा चलाये जा रहे बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना।
4. बालश्रम कानून के प्रवर्तन एवं पुनरक्षण की वकालत करने के साथ इसकी मॉनिटरिंग पद्धति को भी मजबूती प्रदान करना।
5. केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को बच्चों को काम से मुक्त कराने एवं पुनर्वास कराने में सहायता प्रदान करना।
6. राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत चलने वाले विशेष विद्यालयों में नामांकन कराने एवं विशेष विद्यालयों से सरकारी विद्यालयों/औपचारिक विद्यालयों में नामांकन कार्य हेतु कोष राषि प्रदान करना।
7. संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना जो बालश्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकार संरक्षण में लगे हैं।
8. विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों विपदा मे पड़े परिवार के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों को केन्द्राभिमुखी करने हेतु प्रोत्साहित करना।[5]

बाल पोषण पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे कुपोषित बच्चे भारत में है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बालश्रम उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है इसके सामाजिक न्याय के मार्गदर्षी सिद्धांत बालश्रम समस्या पर केन्द्रित रहे है। बालकों से कम उम्र में कार्य करवाने के कारण उनके ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उन्हें बचाने की चिंता अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समय–समय पर अंगीकृत किये गये अभिसमयों में प्रतिबिम्बित है। आई. एल. ओ. के एक अनुमान के अनुसार सिर्फ विकासशील देशों में ही 5 से 14 वर्ष की उम्र के लगभग 25 करोड़ बाल मजदूर हैं। इनमें से लगभग 12 करोड़ पूर्णकालिक है जबकि षेष स्कूल जाने के साथ–साथ मजदूरी करते है। कुछ मामलों में इनमें से 68

प्रतिशत बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं। आई. एल. ओ. के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पूरी दुनिया में 5 से 11 वर्ष के लगभग 50–60 करोड़ बच्चे ऐसे वातावरण मे कार्य करते हैं, जिसे उनकी उम्र को देखते हुए खतरनाक करार दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बालश्रम उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम जर्मन सरकार के सहयोग से सन 1992 में प्रारम्भ किया गया। इस विशाल कार्यक्रम के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर बालश्रम उन्मूलन के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। भारत ने सन् 1992 में इस पर हस्ताक्षर किये। वर्तमान में राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के माध्यम से कार्य किये जा रहे है। सन् 1999 के मध्य जेनेवा में हुये आई.एल. ओ. सम्मेलन में इसके लिये प्रस्ताव पारित किये गये और इन प्रस्तावों से सभी सदस्य देश बंधे हुऐ है भारत भी इसमें सम्मिलित है।

बालश्रम को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तर पर विचार विमर्श हुआ है इस विषय पर सन् 1992 के कोलम्बो में निर्गुट देशों का सम्मेलन हुआ उसमें सभी सदस्य देशों ने बच्चों के विकास एवं बाल श्रमिकों की बढ़ती हुई स्थिति में क्षेत्रीय सहयोग पर सहमति दी। इसमें स्वीकार किया गया कि बच्चों का नियोजन उनके षारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा डालता है। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक सदस्य देश बच्चों के इन उद्देष्यों को सम्पूर्ण रूप से लागू करेगा व बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिये इस नीति के अन्तर्गत मुक्त बाजार व्यवस्था और ढांचागत समायोजन को लागू करेगा तथा बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा।[6] इस समस्या को समाप्त करने के लिये प्रयासरत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में एम्सटर्डन सम्मेलन (2001), ओसिया सम्मेलन (2002) तथा स्टाकहोम सम्मेलन मुख्य रूप से है। ये सम्मेलन बालश्रम उन्मूलन हेतु विश्व जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। विश्व बैंक भी बालश्रम उन्मूलन की दिशा में प्रयासरत है।[7] सन 2006 में विदेशी न्यूज एजेंसी रायटर्स फाउंडेशन के 120 मानवतावादी विशेषज्ञों ने एक सर्वेक्षण के आधार पर भारत को विश्व में बच्चों के लिये छठा सबसे खतरनाक जगह के रूप में पाया है।[8]

भारत में बाल श्रमिकों के अधिकारों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व बने अधिनियमों में कारखाना अधिनियम 1881, कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1891, खान अधिनियम 1901, कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1926, भारतीय बन्दरगाह (संशोधन) अधिनियम 1931, चाय जिला अप्रवासी अधिनियम 1931, बालश्रमिक बन्धक अधिनियम 1933, भारतीय खनन कानून 1935, बाल नियोजन अधिनियम 1938 प्रमुख रूप से हैं। सन् 1940 में श्रम उप समिति ने भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस को समर्पित रिपोर्ट में कहा की बच्चों के कार्य एवं जीवन दशाओं में सुधार किया जाये तथा शिक्षा पर बल दिये जाने की बात कही। सन् 1944 में श्रम अनुसंधान समिति जो रेगे कमेटी के नाम से जानी जाती है उसने कई उद्योगों तथा बीड़ी, कॉच, सीमेंट, बुनाई और गलीचे में लगे बालश्रमिकों पर प्रकाश डालते हुए यह बात कही कि सरकार को औद्योगिक नियोजन से बालकों को पूर्णतया हटा देना चाहिए।[9] स्वतन्त्रता प्राप्ति के पष्चात बने अधिनियमों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बागान श्रमिक अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1954, वाणिज्यिक जहाजरानी अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम 1966, बाल नियोजन (संशोधन) 1978, खतरनाक मषीन (विनिमय) अधिनियम 1983, बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनिमय) अधिनियम 1986, किषोर न्याय अधिनियम 2000, समेकित बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, अक्टूबर 2006 कानून, निःषुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009, बालश्रम संशोधन कानून 2012 तथा मध्याह्न भोजन योजना महत्वपूर्ण है।

इसी क्रम में भारत की राष्ट्रीय बाल नीति 1974 विशेष रूप से उल्लेखनीय है इस नीति में बच्चों को राष्ट्रीय सम्पत्ति माना है राष्ट्रीय योजनाओं में इन्हें प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को जोखिम वाले कार्यों में नही लगाया जायेगा व कमजोर वर्ग के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा राज्य 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को निःषुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उचित उपाय करेगा। आपदा के समय राहत सहायता देने में बच्चों को प्राथमिकता देनी होगी। वे बच्चों को जो अपराधी बन चुके, भिखारी बनने को मजबूर है और अन्य परेषानी में जीवन जी रहे है उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और पुर्नवास दिलाया जायेगा जिससे उन्हें देश के लिये उपयोगी नागरिक बनाया जा सके। दूसरी राष्ट्रीय बालश्रम नीति 1987, में यह स्वीकार किया गया कि गांव एवं शहरों में रोजगारोन्मुखी विकास को बढ़ावा देने, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का समुचित विस्तार, व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सामाजिक एवं परिवार कल्याण के उपायों को अपनाने से बालश्रम के कारणों का हल किया जा सकेगा। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, समेकित बाल विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का इस प्रकार कार्यान्वयन किया जायेगा कि उसका सकारात्मक लाभ बाल श्रमिकों को मिल सके।

भारत के संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत बालकों के नियोजन एवं कल्याण संबंधी प्रावधान जोड़े गये हैं जैसे–

1. अनुच्छेद 21 क के अन्तर्गत बच्चों का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
2. अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खान या खतरनाक नियोजनों में काम करने की मनाही है।
3. नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39(ड.) के अनुसार बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर उन्हे ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 39(च) के अनुसार

बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधायें दी जाये और बालकों व अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये।

4. नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।[10]

उक्त सांवैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि बालश्रम पूर्णतः निषेध है अनुच्छेद 24 के प्रावधान राज्यों पर बाध्यकारी है अर्थात इसका उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है लेकिन अनुच्छेद 39 और 45 मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत नहीं है अर्थात इन्हें लागू करने के लिये सरकार बाध्य नहीं है किन्तु उच्चतम न्यायालय ने के.पी. उन्नीकृष्णन मामले में यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 45 मौलिक अधिकारों के रूप में ही है। इसी सन्दर्भ में बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए बने डी.एन.रेगे आयोग, पी.जी. गजेन्द्रगड़कर आयोग 1969, हरिवंश कमेटी 1977 तथा गुरूपद दास स्वामी कमेटी 1979 प्रमुख रूप से रही है। गुरूपद दास स्वामी आयोग ने बाल समस्याओं से संबंधित समस्याओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया। इसने बाल श्रमिकों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि देश में सर्वमान्य कानून व्यवस्था की आवश्यकता है तथा कहा कि बाल श्रमिकों की क्षेत्रीय गुणात्मक और मात्रात्मक परिस्थितियों में कोई उल्लेखनीय सुधार संभव नहीं हो रहा है। इसलिये इस दिशा में ध्यान दिये जाने की बात कही गयी।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण के युग में जिस गति से औद्योगीकरण व नगरीकरण का विकास हुआ है उससे बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ी है तथा दूसरी तरफ विकास भी देखने को मिल रहा है जिससे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बढ़ रहा है लेकिन जनसंख्या अनुपात में इसे कम ही कहा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर पर संचार साधनों के विकास, लोकतंत्र की परिपक्वता व समूहों की जागरूकता ने बाल अधिकारों को बल दिया है बालश्रम उन्मूलन के लिये कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण है की बालश्रमिकों को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य व भोजन मिलना चाहिये इनका पुर्नवास व इनसे जुड़े परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ बुद्धिजीवी वर्ग, स्वंयसेवी संगठनों को इस दिशा में कार्य करना होगा तभी इन्हें सही अर्थों में अधिकारों की प्राप्ति संभव हो सकेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *कृष्णकांत मिश्र, राजनीति सिद्धांत और शासन (मार्क्सवाद और उदारवाद), ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 2001, पृष्ठ–12*
2. *बी.एन. चौधरी एवं युवराज कुमार द्वारा संपादित पुस्तक भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, गीता सहारे का आलेख वैश्वीकरण और राज्य की बदलती हुई प्रकृति, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 2013, पृष्ठ–31*
3. *दुनिया के बच्चों की स्थिति 2005 यूनिसेफ, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ–4*
4. *राबर्ट जी. मेयर्स, बच्चो के लिए एक सही शुरूआत, यूनेस्को एवं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ–50*
5. *रवि प्रकाश यादव, बालश्रम समस्या एवं समाधान, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृष्ठ–96–98*
6. *मनोज कुमार दशोरा, बालश्रमिक समस्या एवं समाधान, हिमांशु पब्लिकेशंस, उदयपुर, 2006, पृष्ठ–7*
7. *विरेन्द्र कुमार, ग्रामीण बालश्रमिकों का बढ़ता शोषण, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, नवम्बर 2007, पृष्ठ–12*
8. *सुभाष शर्मा, भारत में बाल मजदूर, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ–71*
9. *भालचंद गोस्वामी, हतभागा बचपन, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2004, पृष्ठ–97*
10. *सुशीला कौशिक, भारतीय शासन एवं राजनीति, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1985, पृष्ठ–181*